All these transfers appointments were made after following the procedure prescribed in Articles 217 and 222 of the Constitution of India.

(c) Does not arise.

हज यात्रा

422. **श्री मीर्जा ईशादबेग :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष समुद्री जहाज तथा विमान द्वारा हज यात्रा के लिए राज्यवार कितने-कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया और हज की यात्रा के लिए, राज्यवार कितने व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गई ;

(ख) हज यात्रा के लिए सुविधाओं के संबंध में हज समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार संतुष्ट किया गया ; और

(ग) गुजरात और महाराष्ट्र का कोटा बढ़ाने के संबंध में क्या-क्या प्रस्ताव हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) केन्द्रीय हज समिति द्वारा समुद्री जहाज और विमान द्वारा हज यात्रियों को चुनने की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद ही यह सूचना एकत्र की जा सकेगी और उस सदन पटल पर रखा जाएगा।

(ख) सरकार को हज समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) सरकार के पास 1988 की हज यात्रा के लिए ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

423. [*Transferred to the 3rd May, 1988*]

Pakistan build up in Siachen

424. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been some serious arms build up by Pakistan in Siachen area; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to meet this aggressive posture by Pakistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Government have seen reports indicating that Pakistan has inducted some additional units into the Siachen Glacier area recently.

(b) Government keep a constant watch on all developments affecting our national security and take appropriate measures from time to time to ensure full defence preparedness.

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

425. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है ; और

(ख) इस समय न्यायधीशों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय में इस समय स्वीकृत पदों की संख्या 26 है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद भी है ।

(ख) तारीख 25-4-1988 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 9 पद रिक्त थे । न्यायाधीशों के चयन में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विचार-विमर्श अन्तर्वलित है । इसमें समय लगता है क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का प्रयास रहता है ।